जनपद वाराणसी में सीवरेज, घाटों एवं कुण्डों तथा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत विशिष्ट सहायता अनुदान में वित्तीय/भौतिक प्रगति की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.10.13 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण।

1. श्री मुकेश मित्तल,सचिव,वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश शासन
2. श्री एच0आर0शर्मा,महानिदेशक,अग्निशमन,उ0प्र0.
3. श्री एस0आर0मिश्र,सचिव,वाराणसी विकास प्राधिकरण,वाराणसी
4. श्री वी0पी0सिंह,निदेशक,सी0एण्ड डी0उस0,उ0प्र0जल निगम
5.. श्री उमाकान्त त्रिपाठी,नगर आयुक्त,वाराणसी।
6. श्री अजय कुमार अवस्थी,अपर जिलाधिकारी,वाराणसी।
7. श्री सुखेन्द्र कुमार,सहायक निदेशक(लेखा),स्थानीय निकाय,उ0प्र0

13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वाराणसी नगर की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये सिस वरूणा क्षेत्र में ब्रान्च सीवर लाइन बिछाने के कार्य हेतु रू0 15.00 करोड़, घाटों एवं कुण्डों के विकास कार्य के लिये रू0 11.25 करोड़ तथा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन हेतु रू0 4.5572 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2011–12 की कार्योजना के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2012–13 में निर्गत की गयी थी। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा तत्सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजे जाने के सम्बंध में विचार विमर्श हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में निम्नवत् मत स्थित किया गया :–

1. वाराणसी नगर के सिस वरुणा क्षेत्र में ब्रान्च सीवर लाईन की स्वीकृत परियोजना लागत रुपये 60.00करोड़, जो कि वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 तक प्रति वर्ष रुपये 15.00 करोड़ शतप्रतिशत अनुदान के रुप में प्राप्त होनी है। वाराणसी नगर के सिस वरूणा क्षेत्र में सीवर लाइन की स्थापना हेतु शासनादेश दिनांक 16.08.12 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 15.00 करोड़ की उपयोगिता के सम्बंध में कार्यदायी संस्था, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जल निगम, वाराणसी, द्वारा रू0 10.50 करोड़ का कार्य कराया गया है, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जल निगम, वाराणसी द्वारा सीवर लाइन परियोजना की कुल 04 वर्षो के लिये स्वीकृत कार्योजना, दिनांक 31.3.2015 तक पूर्ण किये जाने के निमित्त तत्सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं प्राप्त धनराशि का उपभोग करने की समय सारिणी (माइलस्टोन) 10दिन के अन्दर तैयार कर शासन को उपलब्ध करायें एवं आगामी समस्त कार्य निर्धारित समय सारिणी (माइलस्टोन)के आधार पर सम्पन्न किये जायें, ताकि उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार से अनुदान की धनराशि प्राप्त करते हुये निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किये जा सकें।

(कार्यवाही–निदेशक, स्थानीय निकाय/जिलाधिकारी वाराणसी/प्रबन्ध निदेशक जल निगम)

2. वाराणसी नगर में घाटों एवं कुण्डों के विकास कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 14.08.12 द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को सारंग कुण्ड के विकास हेतु रू0 4.00 करोड़ एवं शासनादेश दिनांक 21.01.13 द्वारा दशाश्वमेघ घाट के विकास कार्य के लिये कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस. जल निगम को रू0 07.25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। सारंग कुण्ड के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा अभी रू0 42.82 लाख का ही व्यय किया गया है।

सारंग कुण्ड घाट के कार्यो की प्रगति तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति अत्यधिक कम होने के कारण मुख्य सचिव महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि विशेष सचिव (श्रीप्रकाश सिंह) नगर विकास विभाग स्वयं वाराणसी जाकर सारंग कुण्ड के कार्यो में उत्पन्न हो रही कठिनाईयों/समस्याओं का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सुझाव/रिर्पोट शीघ्र प्रस्तुत करेंगें।

दशाश्वमेघ घाट के स्थान पर पिशाचमोचन कुण्ड के विकास कार्य कराये जाने के सम्बंध में निदेशक, सी.एण्ड डी.एस. द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्थल पर जल भराव एवं सितम्बर माह में पिण्ड दान होने के कारण कार्य कराना सम्भव नहीं हो सका। उक्त कार्यो के सापेक्ष अब तक केवल रू0 2.518 करोड़ की धनरशि व्यय की गयी है। इस सम्बंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सी.एण्ड डी.एस. द्वारा कराये जा रहे कार्यो में त्वरित प्रगति सुनिश्चित कराते हुए स्वीकृत धनराशि रू0 7.25 करोड़ का पूर्ण उपयोग 31 दिसम्बर 2013 तक कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, तथा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि निदेशक, सी.एण्ड डी.एस. वाराणसी नगर में घाटों एवं कुण्डों के विकास कार्य हेतु स्वीकृत परियोजना, रू0 45.00 करोड़, जो दिनांक 31 मार्च 2015, तक पूर्ण होनी है, हेतु प्राप्त होने वाली अवशेष 03 किश्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं प्राप्त धनराशि का उपभोग करने की समय सारिणी(माइलस्टोन) 10 दिन के अन्दर तैयार कर शासन को उपलब्ध करायें एवं आगामी समस्त कार्य निर्धारित समय सारिणी (माइलस्टोन) के आधार पर सम्पन्न किये जायें, ताकि उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार से अनुदान की धनराशि प्राप्त करते हुये निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किये जा सकें।

(कार्यवाही– निदेशक, स्थानीय निकाय/जिलाधिकारी वाराणसी/उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण/निदेशक सी.एण्ड डी.एस.)

3. वाराणसी नगर में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन के सम्बंध में वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू0 4.5572 करोड़ की धनराशि में से रू0 329.97 करोड़ का सिविल कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस को धनराशि स्वीकृत की गयी है, अवशेष रू0 125.75 लाख का कार्य अग्निशमन उपकरण/वाहनों के क्रय हेतु अग्निशमन विभाग को स्वीकृत किया गया है। फायर विभाग ने रू0 67.20 लाख का व्यय किये जाने की सूचना दी है एवं अवशेष धनराशि रू0 58.55 लाख, जो कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत किये गये, तत्समय कोषागार से आहरित न होने के कारण धनराशि लैप्स हो गयी है, जिसके सम्बंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उक्त लैप्स धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत कर फायर विभाग को उपलब्ध कराया जाय। इसी के साथ यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य हेतु प्राप्त कुल धनराशि रू0 455.72 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 अक्टूबर, 2013 तक शासन को उपलब्ध कराया जाय। प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि अपर महानिदेशक, फायर सर्विस द्वारा उक्त कुल स्वीकृत परियोजना का अवशेष अवधि 31 मार्च 2015, तक प्राप्त होने वाली अवशेष 03 किश्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं प्राप्त धनराशि का उपभोग करने की समय सारिणी 10 दिन के अन्दर तैयार कर शासन को उपलब्ध करायें एवं आगामी समस्त कार्य निर्धारित समय सारिणी (माइलस्टोन) के आधार पर सम्पन्न किये जाय, ताकि उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार से अनुदान की धनराशि प्राप्त करते हुये निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही–निदेशक, स्थानीय निकाय/ अपर महानिदेशक, फायर सर्विसेज/निदेशक,सी.एण्ड डी.एस.)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

spuo-2

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-9
संख्या- 1788 /9-9-2012-262ज/12
लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी ।
4. अपर महानिदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम लखनऊ।
7. निदेशक सी.एण्ड डी.एस लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई वाराणसी।
9. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
उप सचिव